रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 17, 2015/चैत्र 27, 1937
No. 102] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 17, 2015/CHAITRA 27, 1937

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2015

वितरण लाइसेंसियों द्वारा डीबीएफओओ (पूर्व मामला-I) बोली के अंतर्गत ताप विद्युत स्टेशनों से विद्युत के भावी प्रापण के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन

सं. 23/9/2015-आर एण्ड आर.—कोयला मंत्रालय ने कोयला खान (विशेष प्रावधान) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) और कोयला खान (विशेष प्रावधान) अध्यादेश, 2014 की धारा 8(5) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 26 दिसंबर, 2014 को आदेश जारी किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कोयला खानों/ब्लॉक के आवंटन तथा नीलामी द्वारा आवंटन के लिए प्रक्रिया भी विनिर्दिष्ट की गई है।

2. दिनांक 26 दिसंबर, 2014 के उक्त आदेश में यह सुनिश्चित किए जाने के लिए विभिन्न शर्तें निर्धारित की गई हैं कि कोयला खान आवंटन अथवा नियतन का लाभ उपभोक्ताओं को भी मिल सके। इसमें यह व्यवस्था भी की गई है कि विद्युत मंत्रालय इस संबंध में उपर्युक्त प्रावधान रखेगा।

तदनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोयला ब्लॉक की नीलामी से होने वाले लाभ उपभोक्ताओं को भी मिल सकें, विद्युत अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत, घरेलू कैप्टिव कोयला खानों वाले बोलीदाताओं से आमंत्रित की जाने वाली डीबीएफओओ (पूर्व मामला-I) बोली के अंतर्गत विद्युत के प्रापण हेतु दिनांक 09.11.2013 के दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित संशोधन जारी किए जाते हैं:

I. बोलीदाताओं से बोली की तारीख तक ईंधन/ऊर्जा प्रभारों तथा निर्धारित/क्षमता प्रभारों को पृथक रूप से उद्धृत करने के लिए कहा जाएगा। अनुवर्ती वर्षों के लिए, कोयला खानों की नीलामी हेतु पीपीए में या मानक निविदा दस्तावेज (विद्युत क्षेत्र के लिए) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त वृद्धि की अनुमति दी जाएगी।

II. बोलियां आमंत्रित करते समय, विद्युत प्रापक बोली वर्ष के लिए अपनी मिश्रित प्रशुल्क बोलियों में ईंधन/ऊर्जा प्रभारों के निम्नलिखित घटकों के लिए बेंचमार्क दरें पहले से ही विनिर्दिष्ट करेगा:

क) कोयला खान से उनके विद्युत संयंत्र तक की दूरी सहित परिहवन की लागत (रेल, सड़क तथा अन्य माध्यम पृथक रूप से)

ख) वाशरी प्रभार

ग) क्रशिंग प्रभार

घ) अन्य प्रभार, यदि कोई है तो (प्रापक द्वारा अग्रिम रूप से विनिर्दिष्ट किए जाएंगे)

ये बेंचमार्क दरें उच्चतम सीमा के रूप में होंगी, और बोलियों का मूल्यांकन तथा भुगतान बोलियों में उद्धृत की गई दरों या बेंचमार्क दरों, जो भी कम हो, पर किया जाएगा।

III. ऊर्जा प्रभारों के इन घटकों में से प्रत्येक घटक के लिए बेंचमार्क दरें विनिर्दिष्ट करते समय विद्युत प्रापक निम्नलिखित को सुनिश्चित करेगा:

(क) बोली में उद्धृत कोयले की रन ऑफ माइन (आरओएम) कीमत कोयला ब्लॉक नीलामी के दौरान उक्त ब्लॉक के लिए दर्शाए गए आरओएम मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसके आधार पर बोलीदाता को ब्लॉक अवार्ड किया गया है। इसके अतिरिक्त, बोलीदाता कोयला ब्लॉक नीलामी (विद्युत क्षेत्र के लिए) के लिए मानक निविदा दस्तावेज के खण्ड 3.10.2 के अनुसार 100 रुपए प्रति मीट्रिक टन की राशि वसूल करने हेतु पात्र होगा। अनुवर्ती वर्षों के लिए, आरओएम कीमत तथा 100 रुपए प्रति मीट्रिक टन कोयला ब्लॉक नीलामी (विद्युत क्षेत्र के लिए) के लिए मानक निविदा दस्तावेज के उपबंधों के अनुसार वृद्धि योग्य होंगे।

तथापि, उद्धृत अतिरिक्त वार्षिक प्रीमियम, यदि कोई है, की गणना कोयला ब्लॉक नीलामी के लिए मानक बोली दस्तावेज (विद्युत क्षेत्र) के दिनांक 31 जनवरी, 2015 को जारी किए गए खण्ड 3.10.2 के शुद्धि पत्र 3 के अनुसार विद्युत के प्रशुल्क के निर्धारण के उद्देश्य से नहीं की जाएगी।

(ख) जहाँ तक परिवहन, वाशरी प्रभार तथा क्रशिंग प्रभार का संबंध है, प्रापक द्वारा अग्रिम रूप से विनिर्दिष्ट किए जाने वाली बेंचमार्क दरें सीआईएल, रेलवे भाड़ा दरों, सीईआरसी/एसईआरसी द्वारा या किसी अन्य उपर्युक्त प्राधिकरण द्वारा निर्धारित बेंचमार्क से अधिक नहीं होनी चाहिएं। जहाँ इस प्रकार के कई बेंचमार्क उपलब्ध हैं, वहाँ विद्युत प्रापक सबसे अधिक उपर्युक्त बेंचमार्क को अपनाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(ग) कोयला नीलामी में उद्धृत जीसीवी का उपयोग सामान्य परिस्थितियों में विद्युत उत्पादन के लिए अपेक्षित कोयले की मात्रा के निर्धारण के उद्देश्य से जीसीवी के संदर्भ के रूप में किया जाएगा। तथापि, बोलीदाताओं द्वारा दावा किए गए, खनन किए गए कोयले, के जीसीवी की वास्तविक कीमत में कोई विचलन, यदि कोई है, होने की स्थिति में, इस प्रकार के विचलन की अनुमति पीपीए के उपबंधों के अनुसार खनन किए गए कोयले के संयुक्त नमूने तथा जांच के आधार पर दी जा सकती है।

IV. जहाँ तक निर्धारित/क्षमता प्रभारों का प्रश्न है, विद्युत प्रापक उपर्युक्त आयोग के परामर्श से, अग्रिम रूप से, निर्धारित/ क्षमता प्रभारों के लिए रुपए/ केडब्ल्यूएच के संबंध में ऊपरी सीमा निर्धारित करेगा। इसे डीबीएफओओ

(पूर्व मामला-I) बोलियां आमंत्रित करते समय सभी भावी बोलीदाताओं को अग्रिम रूप से बोली दस्तावेज के एक भाग के रूप में भी दर्शाया जाएगा।

V. विद्युत प्रापक उपयुक्त आयोग की सहमति से, उपर्युक्त दिशा-निर्देशों को प्रभाव में लाने के लिए डीबीएफओओ/ मामला-I बोली दस्तावेज में आवश्यक संशोधन, यदि कोई अपेक्षित है तो, कर सकते हैं।

ज्योति अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 16th April, 2015

Amendment to the Guidelines for future Procurement of Power from Thermal Power Stations by Distribution Licensees under DBFOO (earlier Case-1) bidding

No. 23/9/2015-R&R.—The Ministry of Coal has issued the Order on 26th December, 2014 in accordance with the provisions of Rule 8(3) of the Coal Mines (Special Provisions), Rules 2014 and Section 8(5) of the Coal Mines (Special Provisions), Ordinance 2014, which *inter-alia* specified the methodology for allocation by auction and allotment of coal mines/block.

2. The said Order dated 26th December, 2014 prescribes various conditions to ensure that the benefit of the coal mine allocation or allotment is passed on to the consumers. It further provides that the Ministry of Power will make suitable provisions in this regard.

Accordingly, in order to ensure that the benefits of coal block auction are passed on to the consumers, the following amendments are issued in the Guidelines dated 09.11.2013 for procurement of power under DBFOO (earlier Case-1) bidding to be invited from bidders having domestic captive coal mines under Section 63 of Electricity Act:

I. The bidders will be asked to quote fuel/energy charges and fixed/capacity charges separately as on Bid Due Date. For subsequent years, appropriate escalation will be permitted as per the provisions contained in PPA or in the Standard Tender Document (for Power Sector) for Auction of Coal Mines.

II. While inviting the bids, the power procurer will specify in advance the benchmark rates for the following components of the fuel/energy charges in their composite tariff bids for the bid year:

(a) Cost of transportation along with distance from coal mine to their power plant (Rail, Road and other modes separately).

(b) Washery charges

(c) Crushing charges

(d) Other charges, if any (to be specified in advance by procurer)

These benchmark rates will act as the ceiling, and the evaluation of bids and payments will be done on the basis of rates quoted in the bids or the benchmark rates, whichever is lower.

III. While specifying the benchmark rates for each of these components of energy charges, the power procurer shall ensure the following:

(a) Run of Mine (ROM) price of coal quoted in bid should not exceed the ROM price quoted for the said block during the coal block auction on the basis of which the block has been awarded to the bidder. In addition to this, the bidder will be eligible to recover an amount of Rs. 100 per Metric Tonne as per clause 3.10.2 of Standard Tender Document for Coal Block Auction (for Power Sector). For subsequent years, the ROM price and Rs. 100 per Metric Tonne shall be escalable as per the provisions of the Standard Tender Document for Coal Block Auction (for Power Sector).

However, the quoted Additional Premium, if any, shall not be reckoned for the purpose of the determination of tariff of electricity as per corrigendum 3 to clause 3.10.2 issued on dated 31st January, 2015 of the Standard Tender Document (Power Sector) for coal block auction.

(b) As far as transportation, washery charges and crushing charges are concerned, the benchmark rates to be specified in advance by procurer should not be more than that of CIL, Railway freight rates, benchmarks determined, if any, by CERC/SERC or by any other Appropriate Authority. Where there are multiple such benchmarks available, the power procurers will be free to adopt the most appropriate benchmark.

(c) The GCV as quoted in the coal auction would in normal circumstances be used as reference GCV for the purpose of determining the quantum of coal required for power generation. However, in the event of variation in actual value of GCV of mined coal, if any, claimed by the bidders, such variation may be allowed based on joint sampling and testing of mined coal in accordance with the provisions of PPA.

IV. As far as the fixed/capacity charges are concerned, the power procurer shall determine, in advance, in consultation with the Appropriate Commission, an upper ceiling in terms of Rs./ Kwh towards the fixed/capacity charges. This shall also be indicated in advance to all the prospective bidders while inviting DBFOO (earlier Case-I) bids as part of bid document.

V. The power procurers may carry out necessary modifications, if any required, in the DBFOO/Case-1 bidding document for giving effect to the above Guidelines with the concurrence of Appropriate Commission.

JYOTI ARORA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.